# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
# जिला राजसमंद

**पीठासीन अधिकारी** :– श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.
**पत्रावली संख्या.** 13 / 2024
**किस्म :–** **प्रार्थना–पत्र**
**दायर दिनांक** : 20.03.2024 **निर्णय दिनांक** : 22.04.2025

**अनवान**

1. मंजु कंवर पत्नी स्व. लाल सिंह जी जाति चारण उम्र 65 वर्ष निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. विरेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री लाल सिंह जी जाति चारण उम्र 43 वर्ष निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद 2–
3. महिपाल सिंह पिता स्व. श्री लाल सिंह जी जाति चारण उम्र 31 वर्ष निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद
4. कान्ता कंवर पुत्री स्व. श्री लाल सिंह जी जाति चारण उम्र 28 वर्ष निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद

.....**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

.....**विपक्षी**

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट**

**प्रार्थी की ओर से** :– **अधिवक्ता मुकेश देवपुरा**
**विपक्षी की ओर से** :– **सरकार**

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम डिंगरोल, पटवार हल्का दोवडा तहसील आमेट जिला राजसमंद में खाता संख्या नया 162 पुराना 159 के आराजी नम्बर 311, 312, 323, 624 कुल किता 04 रकबा 1.5400 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त आराजियात वर्तमान जमाबन्दी में बहादुर सिंह पुत्र सायर बाई हिस्सा पूर्ण जाति चारण निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद के नाम दर्ज है। वास्तव में बहादुर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जाति चारण निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद का वास्तविक नाम लाल सिंह उर्फ बहादुर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जाति चारण निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद था, जो प्रार्थी संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 के पिता है। प्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी संख्यपा 02, 03 व 04 के पिता जिनका की नाम लाल सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जाति चारण निवासी डिंगरोल तहसील

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

आमेट जिला राजसमंद को प्रेमवश घर पर बहादुर सिंह के नाम से पुकारते थे जबकि उनका रिकार्ड में नाम लाल सिंह पिता लक्ष्मण सिह जी जाति चारण निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद ही था। उक्त वर्णित भूमि सायर कुंवर चारण की थी, जिनके कोई आल–औलाद नही होने से मु० सायर कुंवर चारण ने एक वसीयत नामा दिनांक 28.03.1963 को प्रार्थी संख्या 01 पति व प्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 के पिता श्री लाल सिंह उर्फ बहादुर सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जी जाति चारण निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद के पक्ष मे निष्पादित किया एवं सायर कुंवर ने अपनी समस्त चल–अचल सम्पति लाल सिंह उर्फ बहादुर सिह पिता लक्ष्मण सिंह जी जाति चारण निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद को सिपूर्द कर दी तथा सायर कुंवर की मृत्यु के पश्चात् असिस्टेन्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर द्वारा मिसल नम्बर 23 सन् 74 से वर्ष 1975 में प्रार्थना–पत्र के पेरा संख्या 01 में वर्णित आराजियात सायर बाई के बजाय बहादुर सिंह माता सायर बाई के नाम दर्ज कर दी जो सायर बाई की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण के कब्जे मे आ गई व राजस्व रेकार्ड मे बहादुर सिंह पुत्र सायर बाई चारण के नाम आज दिन तक चली आ रही है जबकि प्रार्थी संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 के पिता लाल सिंह चारण उर्फ बहादुर सिंह चारण पिता लक्ष्मण सिंह चारण निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद की मृत्यु दिनांक 10.01.2011 को गई। लेकिन उनके मृत्यु प्रमाण–पत्र में नाम लाल सिंह चारण पुत्र लक्ष्मण सिह चारण निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद लिखा होने से वादग्रस्त भूमियों बाबत् न तो विरासत का नामान्तरकरण खुल पा रहा है, न ही भूमियां प्राथर्थीगण के नाम पर आ पा रही है जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण खातेदार होकर भूमियों पर काबिज है। उक्त भूमियां वर्तमान जमाबन्दी में हो रहे गलत इन्द्राज को दुरस्त करते हुए बहादुर सिंह पुत्र सायर बाई चारण निवासी डिंगरोल का नाम उक्त वर्णित आराजियात के संबंध में जमाबन्दी से विलोपित किया जाकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का पेश है तथा जमाबन्दी मे गलत अंकन को दुरस्त करते हुए प्रार्थीगण के नाम भूमियां दर्ज करने का आदेश दिया जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि मे बहादुरसिंह पुत्र सायरबाई चारण का नाम जमाबन्दी से विलोपित कर प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार अंकित किये जाने का आदेश दिया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सरदारगढ द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम डिंगरोल के आ.न.311, 312, 323, 624 कुल किता 4 रकबा 1.5400 हैक्टेयर भूमि वर्तमान जमाबन्दी में श्री बहादुरसिंह पुत्र सायरबाई जाति चारण सा. देह के नाम पर खाता संख्या 162 पर दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार श्री बहादुरसिंह फौत हो चुका है। वर्तमान में ग्राम डिंगरोल के आ.न. 311, 312 व 323 पर खातेदार के वारिसान श्री विरेन्द्रसिंह, महिपालसिंह, कान्ताकुंवर,

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

पुत्र–पुत्री व मंजुकुंवर पत्नी काबिज होकर काश्त व उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। वादीपक्ष एवं ग्रामवासियान ने जाहिर किया कि आ.न. 624 रकबा 0.0650 हैक्टेयर पर श्री शंकरलाल पिता लच्छीराम गुर्जर निवासी डिंगरोल का कब्जा–काश्त है। श्री बहादुरसिंह पुत्र सायरबाई को गाँव में लालसिंह उर्फ़ बहादुरसिंह के नाम से जाना जाता था तथा इनके जायन्दा पिताजी का नाम लक्ष्मणसिंह होकर सायरबाई के गोद जाना जाहिर आया जिसकी तस्दीक ग्राम पंचायत दोवडा द्वारा की गयी। मौका पर्चा मे ग्रामवासियान ने जाहिर किया कि बहादुरसिंह पुत्र सायरबाई एवं लालसिंह उर्फ बहादुरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह चारण निवासी डिंगरोल एक ही व्यक्ति थे। इस नाम का ग्राम डिंगरोल मे अन्य कोई व्यक्ति नही है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह ताईद हैं कि बहादुरसिंह पुत्र सायरबाई एवं लालसिंह उर्फ बहादुरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह चारण दोनों अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र व राशन कार्ड मे पिता का नाम लालसिंह अंकित है, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य साबित हैं।

## :: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता हैं एवं राजस्व ग्राम डिंगरोल पटवार हल्का दोवडा तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद में खाता संख्या नया 162 पुराना 159 के आराजी नम्बर 311, 312, 323, 624 कुल किता 04 रकबा 1.5400 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम स्व. बहादुरसिंह पुत्र सायरबाई को विलोपित करते हुए के स्थान पर प्रार्थी मंजु कंवर पत्नी स्व. लाल सिंह उर्फ बहादुरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति चारण, विरेन्द्र सिंह पिता स्व. लाल सिंह उर्फ बहादुरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति चारण, महिपाल सिंह पिता स्व. लाल सिंह उर्फ बहादुरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति चारण, कान्ता कंवर पुत्री स्व. लाल सिंह उर्फ बहादुरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति चारण राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

(गोविंद सिंह )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 खुले न्यायालय पर आदेश सुनाया गया।

( गोविंद सिंह )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द